फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

लाभचंद **बनाम** नगरपरिषद वगैरह

किस्म मुकदमा ....225.... मुकदमा नंबर....01.... सन....2021....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.01.2021	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2021 बउनवान लाभचंद बनाम नगर परिषद पाली वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील अपीलांट ने प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम पाली चक प्रथम, पटवार क्षेत्र पाली चक प्रथम, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाली, तहसील पाली की के खसरा नंबर 1029 रकबा 0.10 बिस्वा, किस्म–गै.मुमकिन खड्डा एवं खसरा नंबर 1031 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा, किस्म चाही चारम कुल रकबा 40 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही वादग्रस्त आराजी के संबध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है। अप्रार्थी संख्या 01 बिना विधिक हक अधिकार से अपीलांट की खातेदारी कृषि कार्य चानि आवासीय प्रयोजनार्थ नीलाम करने पर आमादा है, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 को अगर ऐसा करने से नहीं रोका गया तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत हस्तगत प्रकरण में	

15/01/21

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

	भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाली, तहसील पाली की के खसरा नंबर 1029 रकबा 0.10 बिस्वा, किस्म–गै.मुमकिन खड्डा एवं खसरा नंबर 1031 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा, किस्म चाही चारम कुल रकबा 40 बीघा में स्थित अपीलांट के मालिकाना काबिजाना भूखंड संख्या 210 की नीलामी की कार्यवाही न करे एवं न ही कब्जे में दखलदांजी करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 अपीलांट को बेचानशुदा भूमि को किसी अन्य को बेचान व हस्तानांतरण न करे व न करावे साथ ही मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति दावे के मूल निर्णय तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। १५/०२/२४ राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	